<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)</u>

–:: आदेश ::–

क्रमांक–88 / दो–12–25 / 71(भाग–दो) दमोह, दिनांक 27 फरवरी 2025

मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2016 के पदोन्नति संबंधी सुसंगत प्रावधान तथा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक डी / 3209 / तीन–17–79 / 18 जबलपुर दिनांक 17.08.2020 एवं ज्ञापन क्रमांक बी / 4754 / चार–3–1 / 65(गाईडलाईन), जबलपुर दिनांक 14.12.2020 में प्रसारित दिशा–निर्देश अनुसार एवं स्थापना पर गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा दिनांक 21.02.2025 को अनुमोदित करते हुए, इस स्थापना पर **कार्यरत आकस्मिकता निधि से वेतन भोगी भृत्य / चौकीदार / जलवाहक एवं वाहन चालक प्रवर्ग** के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को **चतुर्थ श्रेणी नियमित भृत्य संवर्ग** के रिक्त पद वेतनमान 4440–7440+1300 / – ग्रेडपे पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत लेवल–1 वेतनमान 15500–49000 / – में पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी व स्थानापन्न रूप से नीचे वर्णित शर्तो के अधीन, **पदोन्नति / नियमितीकरण** किया जाता है–

स. क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	पदोन्नति / नियमितीकरण का पद	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	
1	**सुश्री दीपिका सोलंकी,** आकस्मिकता निधि प्रभारित भृत्य / चौकीदार / जलवाहक	नियमित भृत्य	श्री दीपक रैकवार की पदोन्नति जमादार के पद पर होने के फलस्वरूप, उनके रिक्त पद पर।
2	**श्री राजेश कुमार श्रीवास,** आकस्मिकता निधि प्रभारित भृत्य / चौकीदार / जलवाहक	नियमित भृत्य	श्री कृष्ण कुमार सोनी की पदोन्नति जमादार के पद पर होने के फलस्वरूप, उनके रिक्त पद पर।
3	**श्री अमित खरे,** आकस्मिकता निधि प्रभारित वाहन चालक	नियमित भृत्य	श्री रामेश्वर दीक्षित की पदोन्नति जमादार के पद पर होने के फलस्वरूप, उनके रिक्त पद पर।
4	**श्री संजय दास,** आकस्मिकता निधि प्रभारित वाहन चालक	नियमित भृत्य	श्रीमती लौंगबाई बर्मन की पदोन्नति जमादार के पद पर होने के फलस्वरूप, उनके रिक्त पद पर।
5	**श्री धीर सिंह,** आकस्मिकता निधि प्रभारित वाहन चालक	नियमित भृत्य	श्री राजकुमार गौंड की पदोन्नति जमादार के पद पर होने के फलस्वरूप, उनके रिक्त पद पर।

<u>–:: शर्ते ::–</u>

1. जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्रतिकूल होने की दशा में पदोन्नति / नियमितीकरण आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. आचरण, नियंत्रण एवं अनुशासन के संबंध में मध्यप्रदेश जिला जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2016, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्ध–स्थायी सेवा) नियम 1960, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम–1961, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम–1965 एवं मध्यप्रदेश (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम–1966 के प्रावधान तथा मध्यप्रदेश शासन एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेश / निर्देश, यथास्थिति लागू

होंगे।

3. पदोन्नति/नियमितीकरण के पद पर कार्यभार ग्रहण काल मध्यप्रदेश जिला न्यायिक स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2016 के नियम–17 के अनुसार रहेगा। पदोन्नति/नियमितीकरण आदेश प्रेषित किये जाने की दिनांक से 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर उपस्थित होना अनिवार्य है।
4. किसी भी आरक्षी थाने में अनुसंधान लंबित नहीं होने व किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होने एवं न ही विचाराधीन होने के संबंध में तथा किसी भी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध नहीं किये जाने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्य असत्य पाये जाने की दशा में पदोन्नति/नियमितीकरण तत्काल प्रभाव से समाप्त/निरस्त की जाकर, नियमानुसार वैधानिक/ अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।
5. वैवाहिक स्थिति एवं संतान के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्य असत्य पाये जाने की दशा में पदोन्नति/नियमितीकरण तत्काल प्रभाव से समाप्त/निरस्त की जाकर, नियमानुसार वैधानिक/अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।
6. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम–1961 के नियम–6 के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र असत्य पाये जाने पर, सेवायें तत्काल समाप्त की जावेंगी तथा वैधानिक/अभियोजन कार्यवाही भी की जावेगी।
7. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम–1961 के नियम–6 के अनुसार पदोन्नति/नियमितीकरण हेतु अपात्र होगा/होगी जो निम्न में कोई हो :–
   (ए)–जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।
   (बी)–जिसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नियॉ (जैसी भी स्थिति हो) है। इसी प्रकार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) जीवित हो।
   (सी)–जो शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाये।
   (डी)–जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो।
   (ई)–जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, (परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते हुए आगामी प्रसव में दो से अधिक संतान का जन्म होता है)।
8. सेवायें सदैव शासनाधीन है, किसी भी समय सेवायें ली जा सकती है।
9. पदोन्नति/नियमितीकरण पूर्णतः अस्थायी है। मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्द्ध–स्थायी सेवा) नियम 1960 के नियम–12 के अनुसार सेवायें किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी।
10. बिना अनुमति किसी शैक्षणिक परीक्षा अथवा अन्य नियोजन हेतु सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
11. पदोन्नत/नियमितीकरण पद पर उपस्थित होने के पश्चात् उक्त सेवा के अलावा अन्य किसी नियोजन/व्यवसाय/वृत्ति में नियोजित नहीं रहेंगे।
12. किसी भी दस्तावेज के कूटरचित अथवा असत्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेंगी तथा वैधानिक/अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।
13. शपथ पत्र में दी गयी जानकारी असत्य पाये जाने पर अभियोजन कार्यवाही की जावेगी।
14. अन्य किसी जिला न्यायिक स्थापना पर अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तर हेतु 3 (तीन) वर्ष तक स्थानांतरण आवेदन/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।
15. पदोन्नति/नियमितीकरण आदेश की समस्त शर्ते बाध्यकारी हैं और भविष्य में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, मध्यप्रदेश राज्य शासन, कार्यालय द्वारा जारी समस्त आदेश एवं निर्देश मान्य होगे।

Sd/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दमोह (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)

पृष्ठां.क.–761....../ दो–12–25/71(भाग–दो) दमोह, दिनांक 28 फरवरी 2025

प्रतिलिपि :–

1. जिला कोषालय अधिकारी दमोह
2. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, सिविल कोर्ट, दमोह
4. सुश्री दीपिका सोलंकी, आकस्मिकता निधि प्रभारित भृत्य/चौकीदार/जलवाहक, दमोह
5. श्री राजेश कुमार श्रीवास, आकस्मिकता निधि प्रभारित भृत्य/चौकीदार/जलवाहक, दमोह
6. श्री अमित खरे, आकस्मिकता निधि प्रभारित वाहन चालक, दमोह
7. श्री संजय दास, आकस्मिकता निधि प्रभारित वाहन चालक, दमोह
8. श्री धीर सिंह, आकस्मिकता निधि प्रभारित वाहन चालक, दमोह
9. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/लेखापाल/सहायक लेखापाल/वेतन लिपिक/ऑफिस मोहर्रिर/ऑफिस टाईपिस्ट/एच.एम.आर.एस.लिपिक कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह की ओर

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28/02/25

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दमोह (म.प्र.)